न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

सीताराम यादव

वनाम

शिवलाल चौपाल

वाद संख्या–09 / 2013–14

वाद का प्रकार–सीमाकंन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमाकंन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्गनत भूमि का विवरण

मौजा कसरौर थाना घनश्यामपुर अंचल गौड़ा बौराम जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		1 कट्ठा 4	उ0–शिवलाल
294 पु0	1462 पु0	धुर	चौपाल
	2090 नया		द0–दयाल झा
			पु0–दयाल झा
			प0–सड़क

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वाद वर्णित भूमि आवेदक को वजरिए निबंधित केवाला से हासिल है एवं केवाला के वाद से वादी के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा वो उपयोग में चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि के साविक खतियानी रैयत श्री मदनेश्वर झा पिता बाबु मन मोहन झा सिाकिन मौजे–कसरौर, ने वर्ष 1980 में उचित जरसिमन पाकर वाद भूमि को एक ही निबंधित दस्तावेज के माध्यम से तीन केताओं यथा आवेदक एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष कम सं0–4 एवं 5 के हाथ रकवा–36 धूर विकय कर दिये तथा तीनों केताओं को वाद भूमि पर व

हिस्सा बराबर दखल–कब्जा सुपुर्द कर दिये। उल्लेखित करना है कि वर्ष 1980 में तीनों केताओं ने वाद भूमि, निबंधित केवाला से हासिल करने के पश्चात आपस में भूमि का बॅटवारा किये जिसके अनुसार आवेदक को हिस्सा प्लॉट के दक्षिण तरफ, से मिला तथा प्लॉट के उत्तर तरफ से हिस्सा प्रतिवादी सं0–4 ठक्को यादव को मिला तथा प्लॉट के मध्य में हिस्सा प्रतिवादी सं0–5 सिताराम यादव को मिला। अर्थात तीनों सहःहिस्सेदार को प्लॉट के पश्चिमी चौद्ददी में अवस्थित सड़क से पुरव चौद्ददी तक लम्बा बटबारा हुआ और तीनों हिस्सेदार अपने अपने हिस्से की भूमि के शांति पूर्ण दखल–कब्जा में आये। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.08 ई0 को प्रतिवादी सं0–5 सियाराम यादव ने अपने हिस्से की वाद भूमि रकवा–12 धूर भूमि उचित जरसीमन पाकर निबंधित दस्तावेज सा0–7119 के माध्यम से आवेदक के हाथ विक्रय कर दिये तथा आवेदक को दखल–कब्जा सुपुर्द कर दिये एवं उसी तिथि को प्रतिवादी सं0 04 ठक्को यादव ने अपने हिस्से की वाद भूमि रकवा–12 धूर हस्तातरित कर दिये। जिस तथ्य का सत्यापन श्रीमान् की उभयपक्ष के निबंधित केवाला के अवलोकन से होगा। वर्ष 2008 ई0 में प्रतिवादी सं0 04 एवं 5 से उनके हिस्से की जमीन निबंधन कराने के पश्चात केतागण अपने अपने भूमि के शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आये जो वर्तमान में भी स्थल पर विद्यमान है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी सं0 5 से उनके हिस्से की जमीन क्रय करने के पश्चात आवेदक वाद भूमि प्लॉट के दो हिस्से अर्थात 12 धूर का उन्हें स्वामित्व प्राप्त है जो प्लॉट के उत्तर भाग से है। वादी को वाद लाने का कारण अन्ततः दिनांक 15.04.11 को उस वक्त हुई जब प्रतिवादी (प्रथम पक्ष) वाद भूमि के संबंध में ग्राम कचहरी कसरौर बसाली में पूर्व से चल रहे वाद सं0–2/2013 में पारित आदेश का अवहेलना किया तथा आवेदक के वाद भूमि के कुछ भाग को जबरण कब्जा करने पर उतारू हो गये एवं आवेदक को जान से मार देने पर उतारू हो गये।

वहीं दुसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि विवादित भूमि की चौहदी वादी अपनी इच्छा के अनुकूल दिया है जबकि वास्ताविकता कुछ और है। विवादित भूमि बजरिये निबंधित केवाला द्वारा श्री मदनेश्वर झा पिता बाबु मन मोहन झा

सा0– मौजे– कसरौर से वादी वो प्रतिवादी–2 सीताराम यादव वो सीयाराम यादव पिता लखन यादव वो ठक्को यादव पिता रामजी यादव सा0 मौजे कसरौर को दिनांक 3–7–1980 को खाता 294 पुराना खेसरा 2462 पुराना 2090 नया रकवा 1 कट्ठा 16 धूर प्राप्त है जिसका एक हिस्सा 12 धूर होती है। प्रतिवादी–2 ठक्को यादव पिता श्री रामजी यादव सा0 कसरौर से दिनांक 8–9–2008 को प्रतिवादी एक शिव लाल चौपाल पिता स्व0 दुखी चौपाल सा0 कसरौर को मौजा कसरौर के खाता 294 पुराना खेसरा 1462 पुराना 2090 नया रकवा 12 धूर चौहदी उ0 स्वराज झा द0 हाल खरिददार सीताराम यादव तारीक इमरोज पुरव दयाल झा प0 सड़क की भूमि निबंधित केवाला से प्राप्त किया वो केवाला के दिन तारिख से शांति पूर्वक दखल कब्जा में चला आ रहा है। केवाला नं0 7118 है। प्रतिवादी 2 केवाला से प्राप्त भूमि जो उसे आपसी व खुददा वॅटवारा से प्राप्त है उक्त भूमि प्रतिवादी 1 के हाथो विक्री किया है और केवाला में दिए चौहदी के अनुसार प्रतिवादी अपना दखल–कब्जा कर चुके है। और अपना अवासीय मकान बनाकर परिवार के साथ रहते है। प्रतिवादी 1 अपने केवाला नंबर 7118 में उल्लेखित चौहदी के आधार दखल काबिज है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यो का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादी, प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 का कुल 36 धुर भूमि निबंधित केवाला से प्राप्त है। बाद में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने हिस्से की 12 धुर भूमि वादी को एवं प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा अपने हिस्से की 12 धुर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बजरिये निबंधित केवाला विक्रय कर दिया गया। इस प्रकार वादी को कुल 24 धुर भूमि प्राप्त है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 12 धुर भूमि प्राप्त है दोनो केवलाओ में दिये गये चौहद्दी से स्पष्ट होता है कि वादी का 24 धुर भूमि दक्षिण से एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 12 धुर भूमि उत्तर से है एवं दोनो एक दुसरे के उत्तर–दक्षिण के चौहद्दीदार है। प्रतिवादी संख्या 1 का कहना है कि उनके विक्रेता श्री ठक्को यादव द्वारा उन्हे प्रश्नगत भूमि के उत्तर–पश्चिम से हिस्सा दिया गया परंतु केवाला में दिये गये चौहद्दी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत नही होता है। यदि ऐसा होता तो दक्षिण एवं पुरब दोनो

चौहद्दी में वादी का नाम होता जबकि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल दोनो केवाला में दर्ज चौहद्दी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 है एवं दक्षिण में वादी है। प्रतिवादी संख्या 1 भी अपने लिखित बहस में कहते है कि प्रतिवादी के केवाला की चौहद्दी के आधार पर सीमाकंन किया जा सकता है। इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि प्रश्नगत भूमि के सीमाकंन की आवश्यकता है अतः वाद को स्वीकार करते हुए अंचलाधिकारी गौड़ाबौराम को निदेशित किया जाता है कि प्रश्गनत भूमि का नियमानुसार सीमाकंन कराते अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय को भेजे।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल